



सर-सर
ओषधि योजना

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान



कमांक:-एफ 5 () एफ.सी.ए/मुवसंज/2023-24/ 3007

दिनांक:- 01-06-2023

निमित्त:-

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of Pipe line from STP to Along SH-Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District- Jhunjhunu (Rajasthan) **Proposal No. FP/RJ/IRRIG/122392/2021**

संदर्भ:-राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक प. 1(6)वन/2022 जयपुर, दिनांक 22.02.2022 एवं आपका पत्रांक 786-87 दिनांक 02.03.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में राज्य सरकार के पत्रांक प. 1(6)वन/2022 जयपुर, दिनांक 22.02.2022 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, झुंझुनूं ने पत्रांक 3933 दिनांक 19.05.2023 से प्रेषित की है। उक्त पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.सं.	शर्त	अनुपालना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	यूजर एजेंसी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेंसी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे।	यूजर एजेंसी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	यूजर एजेंसी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/ वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	यूजर एजेंसी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	यूजर एजेंसी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Manphool Singh
Designation: Chief Conservator Of
Forest

Date: 2023.06.01 17:14:43 IST

Reason: Approved

7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेंसी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
8	Nagar Parishad Jhunjhunu will provide free of cost STP water for the plants of Beed Jhunjhunu Conservation Reserve as per requirement of forest department Jhunjhunu.	यूजर एजेंसी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
9	The User agency will leave 'T' Points at every Kilometer of pipeline for getting STP water of the Plants.	यूजर एजेंसी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
10	Treated water of STP will be used for plants and nursery in beed Jhunjhunu Conservation Reserve (Total Area 1047.48)	यूजर एजेंसी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालना करेगा।	यूजर एजेंसी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये गये वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि (OSMFWP) (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	यूजर एजेंसी द्वारा डिमांड पत्र के अनुरूप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए कुल धनराशि रुपये 49858/- रु जरिये ई-चालान से दिनांक 05.12.2022 को राजस्थान कैम्पा फण्ड में जमा कराने की रसीद संलग्न है। यूजर एजेंसी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय में वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराई जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छांयाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी की छांयाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	यूजर एजेंसी द्वारा डिमांड पत्र के अनुरूप एन.पी.वी. के लिए कुल धनराशि रुपये 663359/- रु जरिये ई-चालान से दिनांक 05.12.2022 को राजस्थान कैम्पा फण्ड में जमा कराने की रसीद संलग्न है। यूजर एजेंसी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	यूजर एजेंसी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Manjool Singh
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.06.31 17:14:43 IST
Reason: Approved

16	राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	यूजर एजेंसी की अपडरटैकिंग संलग्न है।
17	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी अंग्रेजी व हिन्दी में प्रकाशित होने वाले एक एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्रों की एक-एक प्रति संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार (02 मूल सैट)।

भवदीय,

(मनफूल सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
जयपुर

क्रमांक:- एफ 5 () एफ.सी.ए./ मुवसंज/2023-24/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, झुंझुनूं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

//
मुख्य वन संरक्षक
जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Manphool Singh
Designation: Chief Conservator Of
Forest

Date: 2023.06.01 17:14:43 IST

Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनू

क्रमांक:-एफ()/सर्वे/उवसं./2023-24/3933

दिनांक:- 19-05-2023

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।

विषय:-Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of Pipe Line From STP to Along SH-8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District- Jhunjhunu (Rajasthan) (FP/RJ/IRRIG/122392/2021).

संदर्भ:-राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक प. 1(6)वन/2022 दिनांक 22.02.2022, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर का पत्रांक 786-87 दिनांक 02.03.2022 व मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का पत्रांक 1651 दिनांक 22.03.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के क्रम में निवेदन है कि LAYING PINE LINE FROM STP TO ALONG SH-8 AND SOTI ROAD IN BEED JHUNJHUNU USED BY AGRICULTURAL PROPOSES NEAR BY VILLAGES AT DISTRICT JHUNJHUNU(RAJASTHAN) के निर्माण में आने वाली वन भूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार पालना हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा पालना रिपोर्ट अन्तिम स्वीकृति हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में यूजर एजेन्सी द्वारा की गयी पालना रिपोर्ट निम्नानुसार संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

Condition No.	Description	Compliance
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
3	साचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पति एवं जीवजन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाये जायेगे एवं उनके संरक्षण के समस्त उपाय किये जावेगे।	यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले वृक्ष वन विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिषक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कोई कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ के रसोई गैस/केरोसिन तेल का आपूर्ति की जावेगी। ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति ना हो।	यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।

FCA
Raj
23/5/23

18571D12B16/Survey/survey letter 2018

RajKaj Ref No. : 3287278



Signature valid

Digitally signed by Rajendra Kumar
Hudda
Designation : Deputy Conservator of
Forest
Date: 2023.05.19 14:59:43 IST
Reason: Approved



Condition No.	Description	Compliance
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
8	Nagar Parishad Jhunjhunu will provide free of cost STP water for the plants and Nursery of Beed Jhunjhunu Conservation Reserve as per requirement of forest department Jhunjhunu.	यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
9	The User agency will leave 'T' Points at every Kilometer of pipeline for getting STP water of the plants.	यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
10	Treated water of STP will be used for plants and nursery in Beed Jhunjhunu Conservation Reserve (1047.48 ha).	यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफआरए प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) द्वारा सृजित चालान द्वारा जमा की जायेगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा डिमांड पत्र के अनुरूप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए कुल धनराशि रुपये 49858/- रु. जरीये ई-चालान से दिनांक: 05.12.2022 को राजस्थान कैम्पा फण्ड में जमा कराने की रसीद संलग्न है। यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन.पी.वी. की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल OSMFWP (online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जावेगी जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या /एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा डिमांड पत्र के अनुरूप एन.पी.वी. के लिए कुल धनराशि रुपये 663359/- रु. जरीये ई-चालान से दिनांक: 05.12.2022 को राजस्थान कैम्पा फण्ड में जमा कराने की रसीद संलग्न है। यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Kumar
Hudda
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.05.19 11:59:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3287278



Condition No.	Description	Compliance
15	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवायी जावेगी।	यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
16	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
17	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय धीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी अंग्रेजी व हिन्दी में प्रकाशित होने वाले एक एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है समाचार पत्रों की एक - एक प्रति संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)

उप वन संरक्षक,

झुन्झुनू

दिनांक:-

क्रमांक :-एफ()सर्वे/उवसझु/2023-24/

प्रतिलिपि-अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफसीए, अरण्य भवन, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)

उप वन संरक्षक,

झुन्झुनू

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Kumar
Hudda
Designation: Deputy Conservator of
Forest
Date: 2023.05.19 10:59:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3287278



श्रीमान उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

विषय :- Compliance Report For Diversion of 0.6926 Ha. forest land in favour of MUNICIPAL COUNCIL JHUNJHUNU for "Laying of Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/IRRIG/122392/2021

संदर्भ:- वन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर पत्रांक प.1(6) वन/2022 जयपुर दिनांक 22.02.2022 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा वन एवं कृषि के लिए एस.टी.पी. उपचारित पानी के पुनः उपयोग के लिए बीड क्षेत्र में यू.पी.वी.सी. पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6926 हैक्ट. वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	Nagar Parishad Jhunjhunu will provide free of cost STP water for the plants of Beed Jhunjhunu Conservation Reserve as per requirement of forest department Jhunjhunu.	नगर परिषद झुंझुनू वन विभाग झुंझुनू की आवश्यकता के अनुसार बीड झुंझुनू संरक्षण रिजर्व के पौधों के लिए निःशुल्क एसटीपी पानी प्रदान करने हेतु सहमत है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	The User agency will leaver "T" Point at every Kilometer of pipeline for getting STP water of the Plants.	प्रयोक्ता एजेंसी संयंत्रों के एसटीपी जल प्राप्त करने के लिए पाइपलाइन के प्रत्येक किलोमीटर पर "टी" प्वाइंट छोड़ने हेतु सहमति प्रदान करती है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
10.	Treated water of STP will be used for plants and nursery in Beed Jhunjhunu Conservation Reserve (Total Area 1047.47 ha.)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बीड झुंझुनू संरक्षण रिजर्व (कुल क्षेत्रफल 1047.47 हेक्टेयर) में पौधों और नर्सरी के लिए एसटीपी के उपचारित पानी का उपयोग किया जाएगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू


अधिकांश
नगर परिषद, झुंझुनू




रहिली मीटिया
अधिकांश अभियंता
नगर परिषद, झुंझुनू

11.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि रु. 49,858 /- UTR. NO. BARB22339072001 DT. 05.12.2022 के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
14.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई-चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। विवरण नियमानुसार है:- रु. 6,63,359 /- UTR. NO. BARB22339072001 DT. 05.12.2022 के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
16.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
17.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है।

Place: Jhunjhunu


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू


ROJIN

Name: 
Office Seal & Signature: 
Designation: 

क्रमांक: प. 1 (6) वन/2022

जयपुर, दिनांक:- 22 FEB 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan) (FP/RJ/IRRIG/122392/2021)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (466/40)2021/एफसीए/प्रमुवस/3680 दिनांक 16.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद झुंझुनु द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में वन और कृषि के लिए एस.टी.पी उपचारित पानी के पुनः उपयोग के लिए बीड क्षेत्र में यू.पी.वी.सी पाईप लाइन बिछानु हेतु 0.6926 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. Nagar Parishad Jhunjhunu will provide free of cost STP water for the plants of Beed Jhunjhunu Conservation Reserve as per requirement of forest department Jhunjhunu.
9. The User agency will leave 'T' Points at every Kilometer of pipeline for getting STP water of the Plants.
10. Treated water of STP will be used for plants and nursery in beed Jhunjhunu Conservation Reserve (Total Area 1047.48 ha.)
11. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी पश्चिमी भवन, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर। संचालक संख्या- 0141-2227762

Mail ID ads_forest@rajasthan.gov.in

Intrincinal Annual/Diversion/IT Serv forest/Alau Documents FCA/State1


झुंझुनु

राजस्थान सरकार
नगर परिषद, झुंझुनु

राजेश कुमार हुड्डा
उप वन संरक्षक,
झुंझुनु

13. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
16. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
17. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
5. उप वन संरक्षक, झुन्झुनू।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद, झुन्झुनू, रोड न. 1, कलेक्ट्रेट सर्कल के पास, झुन्झुनू-333001
7. रक्षित पत्रावली।


सहायक वन संरक्षक
झुन्झुनू


राहुल भाटिया


राहुल भाटिया
अधिशाषी अभियंता
नगर परिषद, झुन्झुनू

11
(लखन सिंह)
विशेषाधिकारी

कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनूं

क्रमांक :- एफ () सर्वे / उवसझु / 2022-23 / 24220
अधिशायी अभियन्ता,
नगर परिषद,
झुंझुनूं।

दिनांक:- 29/11/22

विषय:- Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of Pipe Line From STP to Along SH-8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan) (FP/RJ/IRRIG/122392/2021).

संदर्भ:- राज्य सरकार का पत्रांक प. 1(6)वन/2022 दिनांक 22.02.2022, एवं अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी एफरीए राजस्थान जयपुर का पत्रांक 786-87 दिनांक 02.03.2022 व मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का पत्रांक 1651 दिनांक 22.03.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा LAYING PINE LINE FROM STP TO ALONG SH-8 AND SOTI ROAD IN BEED JHUNJHUNU USED BY AGRICULTURAL PROPOSES NEAR BY VILLAGES AT DISTRICT JHUNJHUNU (RAJASTHAN) के निर्माण में आने वाली वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। वन भूमि के 0.6926 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार पालना हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। साथ ही आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी स्तर में नहीं होने देना सुनिश्चित करें अन्यथा आप व्यक्तिशः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दोषी होंगे। सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवा कर स्वीकृति में वर्णित अधिरोपित शर्तों की निम्नानुसार बिन्दुवार पालना आपके द्वारा अपेक्षित है:-

1. शर्त सं० 1 की पालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2. शर्त सं० 2 की पालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पति एवं जीवजन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाये जायेगे एवं उनके संरक्षण के समस्त उपाय किये जावेगे। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले वृक्ष वन विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कोई कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ के रसोई गैस/केरोसिन तेल का आपूर्ति की जावेगी। ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति ना हो। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि रो/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

सहायक वन संरक्षक
झुंझुनूं

ROJIN

राहुल भाटिया
अधिशायी अभियन्ता
नगर परिषद, झुंझुनूं


राजेश्वर कुमार झुंझुनूं
उप वन संरक्षक,
झुंझुनूं

- 8- Nagar Parishad Jhunjhunu will provide free of cost STP water for the plants and Nursery of Beed Jhunjhunu Conservation Reserve as per requirement of forest department Jhunjhunu. इस आशय का चयन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 9- The User agency will leave 'T' Points at every Kilometer of pipeline for getting STP water of the plants. इस आशय का चयन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 10- Treated water of STP will be used for plants and nursery in Beed Jhunjhunu Conservation Reserve (1047.48 ha). इस आशय का चयन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 11. प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफआरए परीक्षण के समूह के माध्यम से प्रयोक्ता ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। नगरपालिका एवं उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू उपखण्ड स्तरीय कमेटी से प्रस्ताव का अनुमोदन करवाकर जिला स्तरीय कमेटी से एफआरए सर्टिफिकेट जारी करवाकर मूल एफआरए सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें।
- 12. शर्त सं० 12 की पालना में प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस आशय का चयन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 13. शर्त सं० 13 की पालना में 0 से 10 वृक्षों के काटे जाने के एवज में 100 वृक्षा के वृक्षारोपण हेतु राशि रु 49858/- वेब पोर्टल OSMF:WP (online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) सृजित ई-चालान द्वारा सीधे ही जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करें।
- 14. शर्त सं० 14 की पालना में एन.पी.वी. की Eco class 3 के लिए क्षेत्र वीडु झुंझुनू कंजर्वेशन निर्धारित दर 957780 के हिसाब से 0.6926x957780 =663359 रु. का शुुगतान वेब पोर्टल OSMF:WP (online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा सीधे ही जमा कराकर चालान प्रति प्रस्तुत करें।
- 15. शर्त सं० 15 की पालना में यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवायी जावेगी। इस आशय का चयन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 16. शर्त सं० 16 की पालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोजन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।
- 17. शर्त सं० 17 की पालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिव्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे।

भारतीय
 (राजेश कुमार हुड्डा)
 उप वन संरक्षक
 झुंझुनू
 दिनांक: 29/11/22


क्रमांक :- एफ()सर्व/उपसड्डु/2022-23/24221-25
 प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
- 2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
- 3. आयुक्त, नगर परिषद, झुंझुनू।
- 4. सहायक वन संरक्षक, झुंझुनू।
- 5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, झुंझुनू।


 सहायक वन संरक्षक
 झुंझुनू


 ROJIN


 यहल भटिया
 अधिशर्मा अभियंता
 नगर परिषद, झुंझुनू


 (राजेश कुमार हुड्डा)
 उप वन संरक्षक
 झुंझुनू
 सहायक वन संरक्षक,
 झुंझुनू

फार्म स 109



बड़ीदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

शाखा : Collect - H...
दिनांक : 5/12/2022

आधार शाखा :
खाता सं. 44860100012
खाताधारक का नाम: Municipal Council Thunthuna

आरटीजीएस / एनईएफटी-के पक्ष में :

बैंक - Union bank of India
शाखा - Bengaluru
आईएफएस कोड : UBIN0996335
लामार्थी का खाता सं. :- 150855712239248
लामार्थी के खाते का प्रकार :
लामार्थी का नाम - RAJASTHAN CAMPA

	राशि (₹)
विशेषण की राशि	<u>7,13,217.00</u>
विनिमय	
कुल	<u>7,13,217.00</u>

राशि (शब्दों में) सात लाख तरु
हजार दो सौ सतरु
रुपये मात्र -

बलक / कर्मिण

(पिक बरूली के अधीन)

BARB 22339072001

22339072001

रघुल माटिया
अधिशायी अभियता
नाग अधिकारी सुझुनु

राजेश कुमार हुजडा
उप वन संरक्षक,
सुझुनु

सहायक वन संरक्षक
सुझुनु

REJUN

रघुल माटिया
अधिशायी अभियता
नाग अधिकारी सुझुनु

Condition No. 01

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021

Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages , DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:


Name:

Office Seal & Signature:

Designation:


सहायक अभियंता
नगर परिषद, झुंझुनू


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू


ROJIN


राजेंद्र कुमार हुंदा
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

Condition No. 02

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021

Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages , DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

Name: राहुल भाटिया
Office Seal & Signature:
Designation: नगर परिषद, झुंझुनू

वन संरक्षक
झुंझुनू

0205514

राजेन्द्र
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

18

Condition No. 03

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021


Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages , DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू


20/02/21


Name: राहुल भाटिया
Office Seal & Signature: अधिशाषी अभियंता
Designation: नगर परिषद, झुंझुनू

413

राजेंद्र कुमार हुंजा
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

Condition No. 04

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021


Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.


UNDERTAKING



प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages , DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें। इस हेतु वचनबद्ध है।


Place: Jhunjhunu

Date:


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू


ROSTN

Name: 
Office Seal & Signature: 
Designation: अभियंता
नगर परिषद, झुंझुनू


राजेन्द्र कुमार कुंज
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

Condition No. 05

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021


Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.


UNDERTAKING


प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages , DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्ध है।


Place: Jhunjhunu

Date:


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू


ROSTIN


Name: राहुल भाटिया
Office Seal & Signature:
Designation: अधिशाषी अभियंता
नगर परिषद, झुंझुनू


राजेन्द्र कुमार हुज्रा
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

Condition No. 06

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021

Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुन्झुनू द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages , DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

सहायक वन संरक्षक
झुन्झुनू

ROSSN

Name: राहुल भाटिया
Office Seal & Signature: अधिशाषी अभियंता
Designation: नगर परिषद, झुन्झुनू

राजेन्द्र कुमार दुर्गा
उप वन संरक्षक,
झुन्झुनू

Condition No. 07

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021


Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.


UNDERTAKING


प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages , DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्ध है।


Place: Jhunjhunu

Date:


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू


ROSTON


Name: राहुल भाटिया
Office Seal & Signature:
Designation: अधिशाषी अभियंता
नगर परिषद, झुंझुनू


राजेन्द्र कुमार बुड़डा
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

Condition No. 08

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021

Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा सहमति प्रदान की जाती है कि वन विभाग झुंझुनू की आवश्यकता के अनुसार बीड झुंझुनू संरक्षण रिजर्व के पौधों के लिए निःशुल्क एसटीपी पानी प्रदान किया जावेगा। इस हेतु विभाग वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू


0055N

Name: 
Office Seal & Signature:
Designation: 
राहुल भाटिया
अधिशाषी अभियंता
नगर परिषद, झुंझुनू


राजेश्वर
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

Condition No. 09

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021


Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा सहमति प्रदान की जाती है कि प्रयोक्ता एजेंसी संयंत्रों के एसटीपी जल प्राप्त करने के लिए पाइपलाइन के प्रत्येक किलोमीटर पर "टी" प्वाइंट छोड़े जावेंगे। इस हेतु विभाग वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू


20/2/21


Name: राजेश भट्टिया
Office Seal & Signature: राजेश भट्टिया
Designation: अभियंता
नगर परिषद, झुंझुनू


राजेन्द्र कुमार हुड्डा
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

Condition No. 10

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021

Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा सहमति प्रदान की जाती है कि बीड झुंझुनू संरक्षण रिजर्व (कुल क्षेत्रफल 1047.47 हेक्टेयर) में पौधों और नर्सरी के लिए एसटीपी के उपचारित पानी का उपयोग किया जाएगा। इस हेतु विभाग वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू

ROJIN

Name: राजेन्द्र कुमार हुड्डा
Office Seal & Signature: अधिशाषी अभियंता
Designation: नगर परिषद, झुंझुनू

राजेन्द्र कुमार हुड्डा
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

Condition No. 11

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021

Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.

UNDERTAKING


प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages , DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" हेतु वनाधिकार प्रमाण पत्र मूल ही पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया है। इस हेतु विभाग वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू


2021


Name: राहुल भाटिया
Office Seal & Signature:
Designation: नगर परिषद, झुंझुनू


राजेन्द्र कुमार हुड्डा
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

Condition No.12

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021


Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा वचन दिया जाता है कि विभाग द्वारा जारी वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु वचनबद्ध है।


Place: Jhunjhunu

Date:


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू


Rajendra Kumar


Name: महेश भादुरिया
Office Seal & Signature: अधिशाषी अभियंता
Designation: नगर परिषद, झुंझुनू


राजेन्द्र कुमार हुड्डा
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

Condition No.13

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021

Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.

UNDERTAKING


प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा वचन दिया जाता है कि "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages , DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा राशि कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है, इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू




Name: राहुल भूदिया
Office Seal & Signature:
Designation: अधिशाषी अभियंता
नगर परिषद, झुंझुनू


राजेन्द्र कुमार हुड्डा
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

Condition No. 14

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021


Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.


UNDERTAKING


प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनु द्वारा वचन दिया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है, इस हेतु वचनबद्ध है।


Place: Jhunjhunu

Date:


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनु




Name: राहुल माटिया
Office Seal & Signature:
Designation: अधिशाषी अभियंता
नगर परिषद, झुंझुनु


राजेन्द्र कुमार हुंझुनु
उप वन संरक्षक,
झुंझुनु

Condition No. 15

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021

Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुञ्जुनू द्वारा वचन दिया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु वचनबद्ध है।


Place: Jhunjhunu

Date:


सहायक वन संरक्षक
झुञ्जुनू


No 55K

Name: राहुल भादिया
Office Signature:
Designation: नगर परिषद्, झुञ्जुनू


राजेन्द्र कुमार कुड़डा
उप वन संरक्षक,
झुञ्जुनू

Condition No. 16

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021

Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

Name: राहुल भाटिया
Office Seal & Signature:
Designation: नगर परिषद, झुंझुनू

सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू

राजेन्द्र कुमार हुड्डा

राजेन्द्र कुमार हुड्डा
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

Condition No. 17

Full Title of the Project : "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal : 12.02.2021


Proposed Diversion Area : 0.6926 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा वचन दिया जाता है कि "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages , DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है तथा समाचार पत्र पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्ध है।


Place: Jhunjhunu

Date:


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू




Name: राहुल भाटिया
Office Seal & Signature:
Designation: अधिशाषी अभियंता
नगर परिषद, झुंझुनू


राजेन्द्र कुमार हुड्डा
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Jhunjhunu

No 19398

Dated ... 03/09/23

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest Dwellers (recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.6926 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of XEN Nagar Parishad Jhunjhunu for Laying Of Pipeline From STP to Along SH-8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Purposes Near By Village at District-Jhunjhunu (Rajasthan) (EP/RJ/IRRIG/122392/2021) in JHUNJHUNU district falls within jurisdiction in Jhunjhunu tehsil.


It is further certified that:


- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.6926 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), nagar parishad (s), sub-division level committee(s) and the district level committee are enclosed as Annexure I to Annexure III
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the nagar parishad have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and per-agricultural communities.


Encls : As above.


सहायक वन संरक्षक
झुंझुनू


RSDN


राहुल भाटिया
अधिसापी अभियंता
नगर परिषद, झुंझुनू


(Laxman Singh Kuri)
District Collector,
Jhunjhunu


सजेन्द्र कुमार हुड्डा
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू

कार्यालय नगर परिषद झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक / 2022-23 / 1051

दिनांक- 14.02.2023

14.02.2023

बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.01.2023

C.A.S.Ty

(एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र)

झुन्झुनू नगर परिषद द्वारा बगड़ रोड़ पर निर्मित एस.टी.पी. से शोधित पानी को कृषि कार्य हेतु पुनः उपयोग के लिए बिड़ क्षेत्र में पाईप लाईन बिछाने 0.6926 है. वन भूमि के लिए एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र के लिए सभापति नगर परिषद झुन्झुनू की अध्यक्षता में उक्त बैठक आहुत की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यो द्वारा अवगत करवाया की परिषद झुन्झुनू क्षेत्र मे अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी समुदाय/व्यक्ति उक्त अधिनियम /नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता रखता हो निवास नही कर रहा है ओर न ही इस प्रकार का कोई आवेदन लम्बित है।

अतः बैठक में उपस्थित समस्त कमेठी सदस्यों द्वारा नगर परिषद झुन्झुनू को पाईप लाईन बिछाने के लिए एफ.आर.ए. अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अभिशंषा की गई।

राजेन्द्र कुमार हुड़डा
उप वन संरक्षक,
झुन्झुनू

महायक वन संरक्षक
झुन्झुनू

14.02.2023

हिना कौर

सभापति
नगर परिषद झुन्झुनू

दिनांक 14.02.23
हिना कौर
पार्षद, वार्ड नं. 16
नगर परिषद

शिवानी

सवीना

E:\XEN\Hindi sh 4.docx110
आयुक्त
नगर परिषद झुन्झुनू

साकीरा
पार्षद, वार्ड नं. 17
नगर परिषद, झुन्झुनू (राज.)

सहकुल प्रीटिया
अधिशाखा अभियंता
नगर परिषद, झुन्झुनू

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक / 2022-23 /


दिनांक-


33


बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 15.12.2022
(एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र)


श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू के पत्रांक 876 दिनांक 08.12.2022 के अनुसार झुन्झुनू नगर परिषद द्वारा बगड़ रोड़ पर निर्मित एस.टी.पी. से शोधित पानी को कृषि कार्य हेतु पुनः उपयोग के लिए बिड़ क्षेत्र में पाईप लाईन बिछाने 0.6926 है. वन भूमि के लिए एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू की अध्यक्षता में उक्त बैठक आहुत की गई। बैठक में उपस्थित क्षेत्रिय वन अधिकारी झुन्झुनू ने अवगत करवाया की उप खण्ड झुन्झुनू राज. मे अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी समुदाय/व्यक्ति उक्त अधिनियम /नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता रखता हो निवास नही कर रहा है ओर न ही इस प्रकार का कोई आवेदन लम्बित है।

अतः बैठक में उपस्थित समस्त कमेठी सदस्यों द्वारा नगर परिषद झुन्झुनू को पाईप लाईन बिछाने के लिए एफ.आर.ए. अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अभिशंषा की गई।


(सुरेन्द्र शर्मा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
झुन्झुनू


तहसीलदार
झुन्झुनू



विकास अधिकारी
पंचायत समिति झुन्झुनू


(दलीप पुनिया)
आयुक्त
नगर परिषद झुन्झुनू


सहुल भाटिया
अधिशापी अभियता
नगर परिषद, झुन्झुनू


सहायक वन संरक्षक,
झुन्झुनू


राजेन्द्र कुमार हुड्डा
उप वन संरक्षक,
झुन्झुनू


(शैलेश खैरवा)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू

कार्यालय जिला कलक्टर झुझुनू (राज.)

34


क्रमांक / 2022-23 // 9342


दिनांक- 3/03/23


बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.03.2023
(एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र)

झुझुनू नगर परिषद द्वारा बगड़ रोड़ पर निर्मित एस.टी.पी. से शोधित पानी को कृषि कार्य हेतु पुनः उपयोग के लिए बिड़ क्षेत्र में पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6926 है. वन भूमि के लिए एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। जिसके सम्बन्ध में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में उक्त बैठक आहुत की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यो द्वारा उप खण्ड अधिकारी एवं नगर परिषद सभापति की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया उक्त बैठक में की गई अभिशंषा एवं कार्यालय रिकोर्ड अनुसार उक्त वन क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी समुदाय/व्यक्ति उक्त अधिनियम /नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता रखता हो निवास नहीं कर रहा है ओर न ही इस प्रकार का कोई आवेदन लम्बित है।

अतः बैठक में उपस्थित समस्त कमेटी सदस्यों द्वारा नगर परिषद झुझुनू को पाईप लाईन बिछाने के लिए एफ.आर.ए. अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अभिशंषा की गई।



आयुक्त
नगर परिषद झुझुनू



उप वन संरक्षक
झुझुनू


अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद झुझुनू


सहूल भादिया
अधिशाषी अभियन्ता
नगर परिषद, झुझुनू


महायक वन संरक्षक
झुझुनू


राजेन्द्र कुमार हुड्डा
उप वन संरक्षक,
झुझुनू


(लक्ष्मण सिंह कुडी)
जिला कलक्टर, झुझुनू



First India



35

JAIPUR | SATURDAY, DECEMBER 10, 2022 | Pages 12 | ₹3.00 | RNI NO. RAJENG/2019/77764 | Vol 4 | Issue No. 184

MODI UNLIKELY TO VISIT RUSSIA THIS YEAR FOR ANNUAL SUMMIT

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi is unlikely to travel to Russia this year for an annual bilateral summit between the two countries, sources said. The G20 summit in Bali was PM Modi's last visit abroad this year.

TMC'S GOKHALE GETS BAIL A DAY AFTER 2nd ARREST

Alameda: TMC spokesperson Saket Gokhale, who was arrested for the second time in three days on Thursday, has managed to get bail once again over an alleged 'fake tweet' against PM Narendra Modi, party said on Friday.

G20: PM CHAIRS MEET WITH GUVs, CMs, LGs

New Delhi: PM Narendra Modi on Friday chaired a VC of GUVs, CMs, and LGs of UTs to discuss aspects relating to India's G20 presidency. PM said G20 belongs to entire nation, is a unique opportunity to showcase country's strengths. P6


OUR EDITIONS: JAIPUR, NEW DELHI & BANGALURU | BSE SENSEX 62,181.67 @ 389.01 | NSE NIFTY 18,496.60 @ 112.75

www.firstindia.co.in | https://firstindia.com/ | https://www.facebook.com/firstindia | https://www.instagram.com/firstindia

CYCLONE MANDOUS ALERT IN SOUTH

Chennai: Northern coastal Tamil Nadu witnessed light to moderate rainfall and some places heavy showers as the cyclonic storm 'Mandous' continued to move further closer to the State's coastline, and it is set to cross the coast near starting mid-

GIRDING UP LOINS FOR THE WORST!



- MAJOR HIGHLIGHTS**
- At least 10 flights cancelled in Chennai due to the Cyclone Mandous
 - Mandous brings heavy rain in Chennai; schools and colleges shut today
 - Chennai Division of the Southern Railway says trains may be cancelled
 - Landfall near Mamallapuram on late Friday and today morning



A man stands on Kasimedu fishing harbour being hit by the high tides due to the strong winds triggered by Cyclone Mandous, in Chennai on Friday. —PHOTO BY ANI

PARLIAMENT WINTER SESSION Bill related to Uniform Civil Code passed in RS

Opposition move to block Uniform Civil Code bill rejected

The National Judicial Commission Bill introduced in Rajya Sabha, AAP opposes

Both the Parliament houses adjourned till 11am on December 12

New Delhi: A controversial private member's Bill that seeks to provide for a panel to prepare a Uniform Civil Code was introduced in the Rajya Sabha on Friday. The Uniform Civil Code in India Bill, 2020 was introduced amid protests from Opposition parties. BJP MP Kirodi Lal Meena moved for leave to introduce the Bill to provide for the constitution of nat'l inspection and investigation committee for preparation of a UCC and its implementation throughout India and for matters connected therewith during the pvt member's business. Congress, CPI, CPI(M), TMC protested against introduction of Billsaying it will "destroy" the social fabric and unity in diversity in country. A private member bill to regulate appt of judges through National Judicial Commission was introduced in RS by CPI(M)'s Bikash Ranjan Bhattacharyya but AAP MP Raghav Chahda opposed it. P5



BILL PASSED WITH 63 VOTES
With the Opposition members seeking withdrawal of the Bill, Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar called for division and the motion for introduction of the Bill was passed with 63 votes in favour and 23 against it.

WHAT IS THE BILL ABOUT?
Bill envisages a collection of laws to protect the personal rights of all citizens without considering religion. To become a law, a private member's Bill needs to be endorsed by the government and cleared in both Houses of the Parli.

SC dismisses plea seeking disclosure of 2018 Collegium meeting details

New Delhi: The SC on Friday dismissed a plea seeking disclosure of the details of a collegium meeting held on December 12, 2018 under the Right to Information Act, underlining a "tentative decision" of the multi-member body cannot be brought in the public domain. A bench of Justices MR Shah and CT Ravikumar said only resolutions drawn and signed by all Collegium members can be said to be a final decision. Tentative resolutions drawn upon discussion and consultation among the members cannot be said to be final unless they are signed by all of them, it said. SC said it cannot place reliance on reports & interview of a former member of Collegium, and it doesn't want to comment on r e m a r k s made by former judge.

COLLEGIUM APPROVES APPT OF THREE ADDL JUDGES AS PERMANENT JUDGES
The SC Collegium headed by CJI DY Chandrachud on Friday approved the proposal for appointment of three Additional Judges as Permanent Judges in the Kerala High Court. The 2 Additional Judges whose names have been approved are Justices Abdul Rahim Musaliar Badharudeen, Vijji Abraham and Mohammed Nias CP.

'LONG BAIL HEARINGS A WASTE, IT SHOULDN'T EXCEED 10 MINS'
Justice Sanjay Kishan Kaul, senior-most judge of SC after CJI, on Friday disapproved of practice of filing lengthy bail applications and arguing "as if a final conviction has already taken place". Bail application should be of 5 pages, arguments should not exceed 10 minutes, Justice Kaul said.

'Shraddha had been alive if cops acted...'
Mumbai (FIB): Vikas Walker, father of Shraddha Walker on Friday met Maharashtra deputy CM Devendra Fadnavis. Later, he claimed his daughter would have been alive had Maha cops acted on a written plaint by her. She had written a letter in 2020 indicating her fears about being killed by Aafab. He said that Fadnavis assured him that he will get justice.

Congress high command to decide Himachal CM
A one-line resolution was passed in the CLP meeting that the party high command will decide next CM in HP

New Delhi: The Himachal Pradesh Congress legislature party, which met on Friday, has decided that the next chief minister of the state will be decided by the party high command, MLA Sundar Thakur told media. According to Thakur, a one-line resolution was passed in the legislature party meeting in Shimla that the Congress high command will decide the next chief minister. State Congress chief Pratibha Singh, former party chief Sukhwinder Singh Sukhu and outgoing legislature party leader Mukesh Agnihotri are among the top contenders for the post.

Crucial READ
RESCUE OPS ENTER 60 HRS TO SAVE 8-YR-OLD BOY STUCK IN BOREWELL
Betul: The rescue operation to save eight-year-old Tanmay Sahu who fell into a 400-foot deep borewell in Mandavi village of MP's Betul district, surpassed 60 hours on Friday. The boy fell into the borewell while playing on December 6.
SC NOTICE TO CENTRE ON AGE OF MARRIAGE FOR MUSLIM GIRLS
New Delhi: The SC on Friday issued notice to the Centre on a petition filed by National Commission for Women (NCW) to make the minimum age of marriage for Muslim girls the same as that of persons belonging to other religions.

CELEBRATING 76TH BIRTHDAY OF SONIA GANDHI Gandhis sight tigress Sultana at Ranthambore National Park

reached the spot where they observed tigress Sultana. According to sources, on Thursday late at the hotel, Sonia celebrated her birthday along with Rahul, Priyanka, Robert Vadra and other family members. On Friday, Sonia and Priyanka Gandhi had reached Dastkar Kendra and spent more than 20 minutes there. They purchased some handicraft items and jacket for Rahul Gandhi.



Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and others during safari at Ranthambore National Park on Friday. Priyanka Gandhi and Robert Vadra also visited.

SHERGARN CYLINDER EXPLOSION INCIDENT: TOLL RISES TO 7 Gehlot directs to provide best possible med aid, says govt stands with victims

CM Gehlot inquires about well being of victims, announces assistance of ₹7 lakh each to the relatives of the deceased and ₹1 lakh to the injured. Rajeev Gaur and Shiv Prakash Purohit. Jodhpur: Chief Minister Ashok Gehlot reached the Mahatma Gandhi Hospital in Jodhpur on Friday and inquired about the well being of the injured in the gas cylinder accident at Dhungeji in Shergarh area. He inquired about their treatment. CM instructed the doctors for proper treatment of the injured. He told that a special team of doctors has left from Jaipur for better treatment of those injured. The CM termed the accident as heart-wrenching, and wished speedy recovery of the injured. "The state government is with them in this hour of crisis. Necessary arrangements have been made for the best possible treatment of the injured. The topmost priority at this time is to save each and every injured person and no stone will be left unturned in this direction." More on P3



Chief Minister Ashok Gehlot meets the injured and inquires about the health at the Mahatma Gandhi Hospital in Jodhpur on Friday.

State making provisions for farmers' welfare through agri budget: Gehlot

Haresh Sharma & Dr Rituraj Sharma

Jaiipur: The State government is trying its best to make necessary provisions for the prosperity of farmers and animal rearers through the state's first-ever agriculture budget, CM Ashok Gehlot said on Friday.



CM Ashok Gehlot, Lal Chand Kalaria, Mahenderjeet Singh Malviya, Govind Sharma Nirvanj Arya, Kuldeep Ranka, and Akhil Arom during the pre-budget dialogue meeting held at CMO on Friday.

The state government has taken a historic decision of bringing a separate agriculture budget which will be presented every year to give maximum

benefits to the farmers, he said while addressing a pre-budget dialogue with farmers, cattle rearers, office

bearers of dairy unions and representatives of tribal areas at the CM Office. Gehlot said that suggestions

of common people are important for a democratic government and will be incorporated in the agriculture budget.

WILL TAKE CARE OF WELFARE OF FARMERS & CATTLE HERDERS: CM

The CM said that agriculture, animal husbandry and allied sectors are the pillars of the state's GDP and economy. "The state government is trying its best to make necessary provisions for the prosperity of farmers and animal rearers of the state through this budget. We are trying our best to make such provisions in the budget, which will increase the income of the farmers and animal herders of the state and make them happy," Gehlot said in the meeting.

Our government has implemented a scheme to meet the energy requirements of the farmers by installing solar panels in the fields to benefit them.

—Ashok Gehlot, Chief Minister

HC orders protection to live-in couple

First India Bureau

Jodhpur: The High Court ordered police protection to a man and his girlfriend living in live-in relationship. Manisha and Dinesh Chauhan, residents of Jodhpur, had filed a petition in the High Court through ad-

vocate Nikhil Bhandari that they are living in a live-in relationship. But they expressed threat to life and property from Manisha's family members. High Court judge Justice Pushpendra Singh Bhati gave the order of police protection for both of them.

Raj Foundation Day to be held at Nairobi in Kenya on April 2, 2023

First India Bureau

Jaiipur: Dr Sonveer Singh, Founder and President of the Rajasthan Association of Kenya, had an informal meeting with Commissioner, Rajasthan Foundation, Dhiraj Srivastava at Yojna Bhawan in Jaipur on Friday.



Dr Sonveer Singh and Dhiraj Srivastava meeting on Friday.

Dr Singh informed Srivastava about the celebration of Rajasthan Foundation Day on April 2, 2023, in Nairobi city of Kenya. He informally invited CM Ashok Gehlot, In-

dustry and Commerce Minister, Shakuntala Rawat, Rajasthan Foundation Commissioner and other senior officials of the government to attend the cel-

ebration. Srivastava said that Rajasthan Foundation is working with the objective of connecting migrant Rajasthanis with their motherland

in accordance with the vision and aim of the CM Ashok Gehlot.

Keeping this objective in mind, Rajasthan Foundation is expanding its reach in Europe, the US, the UK, Dubai, Kenya and other countries where migrant Rajasthanis are employed in large numbers.

Dr Singh said that on the occasion of Raj Foundation Day, Rajasthanis living in Kenya would be dressed in traditional folk and Rajasthanis folk music will be organised.

BRIEF

BSF, PAKISTAN RANGERS FIRE ON BORDER

Sri Ganganagar: There were reports of firing on Indo-Pak international border on Friday evening. The Pak Rangers fired after seeing the farmers who had gone to do farming across the border. The BSF jawans also fired BSF jawans fired at Binjore post. On the information of BSF, the police left for the spot. There was no casualty. According to the police, some farmers usually go across the border for farming. Seeing them, on Friday, the Pak rangers fired.

SAFELY RESCUED PANTHER DIES AT NAHARGARH

Jaiipur: A panther rescued from Janwarangarh and brought to a rescue center of Nahargarh Biological Park. The panther was rescued from Janwarangarh, tranquilized and brought to the rescue centre in injured condition. Panther's post-mortem and cremation will be done. The staff said that the panther had suffered grievous injuries and succumbed to them despite the best treatment given to it.

Two of a marriage party die as SUV overturns on Barmer highway

Mukesh Mathrani

Barmer: Two passengers of a Scorpio were killed after the vehicle got overturned on Barmer-Chohlan highway. The accident took place on Friday late evening. Vehicle was part of a marriage procession. In the incident four others got injured. The de-



The ill-fated Scorpio in which victim and injured travelled.

ceased were identified as Chetanram Meghwal (55) and Jogendra Charan (26) both resident of Adansar village. On getting informed police reached at the spot. Anil Kumar Bisnoi, station house officer at Sadar police station confirmed the report. The police said that around six people were travelling in the Scorpio vehicle.

जयपुर विकास प्राधिकरण					
विद्युत संचालन विभाग, जयपुर-302004					
विद्युत संचालन विभाग, जयपुर-302004					
विद्युत संचालन विभाग, जयपुर-302004					
विद्युत संचालन विभाग, जयपुर-302004					
क्र.सं.	जोड़	संयोजक	वर्तमान मूल्य (रुपये में)	प्रस्तावित मूल्य (रुपये में)	वर्धन प्रतिशत (%)
1.	अधि.सं. 1	JD42223WSD000516	148.17	2257092.23	1524.32
2.	अधि.सं. 2	JD42223WSD000528	40.08	3167092.23	7900.43
3.	अधि.सं. 3	JD42223WSD000527	108.23	2757092.23	2545.32
4.	अधि.सं. 4	JD42223WSD000532	81.98	2837092.23	3453.32
5.	अधि.सं. 5	JD42223WSD000533	118.32	2837092.23	2395.32
6.	अधि.सं. 6	JD42223WSD000535	34.89	2817092.23	8073.32
7.	अधि.सं. 7	JD42223WSD000529	119.42	2847092.23	2385.32
8.	अधि.सं. 8	JD42223WSD000531	67.76	2347092.23	3435.32
9.	अधि.सं. 9	JD42223WSD000529	156.91	3077092.23	1957.32
10.	अधि.सं. 10	JD42223WSD000530	6.01	3077092.23	5111.32
11.	अधि.सं. 11	JD42223WSD000530	73.00	3157092.23	4289.32
12.	अधि.सं. 12	JD42223WSD000531	68.64	2767092.23	4017.32
13.	अधि.सं. 13	JD42223WSD000531	105.80	2747092.23	2595.32
14.	अधि.सं. 14	JD42223WSD000531	37.33	2497092.23	6695.32
15.	अधि.सं. 15	JD42223WSD000532	54.00	1807092.23	3315.32
16.	अधि.सं. 16	JD42223WSD000532	65.89	2807092.23	4275.32
17.	अधि.सं. 17	JD42223WSD000535	165.00	2907092.23	1761.32
18.	अधि.सं. 18	JD42223WSD000537	4100.00	22482793	5482.793

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (6) वन/2022
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर

जयपुर दिनांक : 22 FEB 2022

विषय:- Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan) (FP/RJ/IRRIC/122392/2021)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (46/40)2021 / एफसीए / प्रपुसत / 3680 दिनांक 16.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयवस्तुगत संघीय प्रस्ताव में औद्योगिक अधिकारी, नगर परिवहन सुसज्जित द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में वन और भूमि के लिए एच.टी.पी. उपचारित पत्रों के पुनः उपयोग के लिए मोड क्षेत्र में यू.पी.जी.सी. पॉपुलेशन लिमिटेड हेतु 0.6926 हेक्टेयर वन भूमि पर्यावरण वन स्वीकृति चाली गई है। नोटवत अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपान्त प्रस्ताव पर न. संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा -2 में सामान्य स्वीकृति बावत जारी दिशा-निर्देशों के परिपत्र में Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District- Jhunjhunu (Rajasthan) को सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी कृषि के वादान सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है :

- वन भूमि को वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।
- पर्यावरण वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- यान्त्रिक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्थितियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई जायेगी एवं उनको संरक्षण हेतु समयावस्य किये जायेंगे।
- पर्यावरण क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों वन विभाग की निम्न पुनर्जन्तु के नहीं काटे जायें। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ पर्यटक होने पर वन विभाग के होंगे।
- प्रयोजक अधिकारी द्वारा प्रस्तावित स्थायी / वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- प्रयोजक अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थान पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसेल गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को हानि न हो।
- प्रयोजक अधिकारी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि में अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / परधर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
- Nagar Parishad Jhunjhunu will provide free of cost STP water for the plants of Beed Jhunjhunu Conservation Reserve as per requirement of forest department Jhunjhunu.
- The User agency will leave T Points at every Kilometer of pipeline for getting STP water of the Plants.
- Treated water of STP will be used for plants and nursery in beed Jhunjhunu Conservation Reserve (Total Area 1047.48 ha.)
- प्रयोजक अधिकारी, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पत्रिका के साथ एक.आ.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- प्रयोजक अधिकारी वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर कार्य सभी निम्न कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- प्रयोजक अधिकारी के व्यय पर वन विभाग द्वारा शुल्क से 10 वृक्षों का पालन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का दर मूल संरक्षण के दौरान आस पास के वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोजक अधिकारी द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में समर्पित करते हुये राशि वेब पोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-चलान द्वारा जमा की जायेगी।
- प्रयोजक अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट विभाग (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई ए संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010 - CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.जी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दू.पी.जी. मधी निर्धारित प्रतिशत वृक्षारोपण निर्मा प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकास के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सूचित ई-चलान द्वारा जमा कराये जायेंगे। निकले उपरान्त ई-चलान की छापा प्रिंट, जमा की गई धनराशि का बैंक चलान / गृहीतार संपन्न / एन.एफ.टी नम्बर की छापा प्रिंट सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपलब्धता आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवा विवरण हो) प्रेषित की जाए तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- प्रयोजक अधिकारी इस आशय का वन विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव स्तर से यदि एन.पी.जी. की दो में बदलती होती है तो वृक्षों को नष्ट नहीं किया जायेगा। प्रयोजक अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य जमा की जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति में प्रयोजक अधिकारी के क्षेत्रीय कार्यलय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2017 आसपी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन डिप्युल्ट द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय को पालन प्रकरण में सुनिश्चित की जाए तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूनर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रमाणित होने वाले एक-एक समानांतर पत्र में अनुपलब्ध करायेंगे। प्रमाणित पत्रों को स्वीकृति की प्रतियाँ स्थानीय निवास, पंचायत एवं स्थानीय के वन विभाग अधिकारियों को भेजी जायेंगी।

अधिकारी
अधिशापी अभियंता

भा.सि.

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक : प. 1 (6) वन/2022 जयपुर, दिनांक : 22.02.2022
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District- Jhunjhunu (Rajasthan) (FP/RJ/IRRIG/122392/2021)

संदर्भ :- आपका पत्रांक एफ 14 (466/40)2021/एफसीए/ प्रमुखस/ 3680 दिनांक 16.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद सुन्दरु द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में वन और कृषि के लिए एन.टी.पी. उपचारित पानी के पुनः उपयोग के लिए बौड क्षेत्र में वू.पी.वी.सी. पाइप लाईन बिछानु हेतु 0.6926 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोटल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिदृश्य में Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan) की संदीनात्मक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जाएगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आमपास के क्षेत्र की वनस्पतियाँ एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किए जाएंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाए। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आमपास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंप नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/ कारोसिन तेल आपूर्ति को जाएगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी, पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।

Nagar Parishan Jhunjhunu will provide free of cost STP water for the plants of Beed Jhunjhunu Conservation Reserve as per requirement of forest department Jhunjhunu.

9. The User agency will leave T Points at every Kilometer of pipeline for getting STP water of the Plants.
10. Treated water of STP will be used for plants and nursery in beed Jhunjhunu Conservation Reserve (Total Area 1047.48 ha.)
11. प्रयोक्ता अभिकरण, संदीनात्मक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सदीनात्मक प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समर्पित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring Of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के सिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आईए संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निर्धियां प्रतिपूर्ति पोधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा करावी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित संदीनात्मक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में वढोतरी होती है तो वढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
16. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
17. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(वी. प्रवीण)
शासन सचिव

गुरुवार की अलपति कोविड योजना

निम्न आवेदनों में आक्षेपों की पूर्ति कर 15 दिसंबर तक मित्रदाएं

सहायक वन संरक्षक
राजस्थान सरकार
जयपुर

Handwritten signature and initials.

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.
 CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
 Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. **Challan Generated** : This icon shows that the challan has been generated.
 Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. **Paid** : This icon shows that the payment has been made.

Proposals received on or after 15th July 2014 All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Jaipur Select State : Rajasthan

Select User Agency : Select

Payment Status : Paid Unpaid All




Bank Name : --Select All-- Mode of Payment : --Select All--




Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :

Enter value for Search : 122392

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/IRRIG/122392/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/IRRIG/122392/2021) Laying of Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agrkultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan)	IRRIG1223922021488	22 Feb 2022	CA: 49858/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 663359/- Total :713217/-	<input checked="" type="checkbox"/> Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On Transaction Date	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/011220221155598036_FPRJIRRIG1223922021_User_Fund_Demand) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=IRRIG1223922021488)

 (HTTPS://DATA.GOV.IN/)
  (HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)
  (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)
 

 (HTTPS://INDIA.GOV.IN/)
  (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)
  (HTTP://WWW.NIC.IN/)